

# गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय

## ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश

जी.बी.यू./003/वित्त/5.38(Vol-III)/2018- 4925

दिनांक: 31.07.2018

समस्त स्कूल अधिष्ठाता/ प्रभारी अधिष्ठाता  
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय  
ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर।

विषय: शैक्षिक सत्र 2018-19 में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु छात्र/ छात्राओं द्वारा वैबसाइट [scholarship.up.nic.in](http://scholarship.up.nic.in) पर ऑनलाइन आवेदन नवीनीकरण (Renewal) और नवीन (Fresh) ऑनलाइन आवेदन करने की निर्धारित समय-सीमा सूचित किये जाने के सम्बन्ध में।

शासनादेश सं० 133/2018/1213/26-3-2018-4(358)/07टी0सी0।।। दिनांक 02.05.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके क्रम में अवगत कराना है कि समाज कल्याण विभाग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग विभाग द्वारा सभी वर्गों (सामान्य वर्ग (GEN), अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और अल्पसंख्यक (MIN.) के विश्वविद्यालय में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं हेतु शैक्षिक सत्र 2018-19 में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु पंजीकरण को नवीनीकरण (Renewal) एवं नवप्रवेशित (2018-19) छात्र-छात्राएँ छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु नवीन (Fresh) ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31.08.2018 उत्तर प्रदेश की वैबसाइट [scholarship.up.nic.in](http://scholarship.up.nic.in) पर प्रदर्शित हो रही है।

अतः अनुरोध है कि अपने स्तर से सभी सम्बन्धित छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति ऑनलाइन आवेदन करने हेतु शासनादेश से अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

(पी0एस0चौधरी)  
नोडल अधिकारी/ वित्त अधिकारी

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. कुलपति महोदय, की निजी सचिव/ स्टाफ ऑफिसर को महोदय के संज्ञान में लाने हेतु।
2. कुलसचिव।
3. अधिष्ठाता, छात्र-कल्याण।
4. मुख्य अभिरक्षक (महिला/पुरुष) एवं समस्त छात्रावास अभिरक्षकों को छात्रावास सूचना पट पर लगवायें जाने हेतु।
5. चैयरपर्सन (परीक्षा) को इस आशय से प्रेषित कि गतवर्ष के अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं को अंकतालिका उपलब्ध कराने की कार्यवाही अविलम्ब कराने का कष्ट करें।
6. सिस्टम मैनेजर, को इस आशय से प्रेषित कि जी0बी0यू0 की वैबसाइट पर शीर्ष में शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सूचना ऑनलाइन प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करें।

नोडल अधिकारी/ वित्त अधिकारी

Gautam Buddha University  
Central Computer Center  
Received / File / Letter  
Date 02/08/18  
Time 03:50

विषय: शैक्षिक सत्र 2018-19 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति/ शुल्क प्रतिपूर्ति (समूह-1,2,3 एवं 4 से सम्बन्धित पाठ्यक्रम एवं कक्षा-11 व 12) योजनान्तर्गत मास्टर डाटाबेस तैयार करने सत्यापन लॉक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति/ शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण हेतु प्रस्तावित संशोधित समय-सारणी के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में जैसा कि आप अवगत है कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत पात्र छात्र-छात्राओं की त्वरित रूप से लाभान्वित किये जाने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न आयामों में समन्वय स्थापित कर पब्लिक फाइनेन्स मैनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) द्वारा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने से लेकर भुगतान करने के मध्य अन्य समस्त प्रक्रियागत कार्यवाही ऑन-लाइन अनिवार्य कर दी गयी है।

मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 सरकार द्वारा घोषणा की गयी है कि प्रत्येक जनपद में मा0 प्रभारी मंत्री/ जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में प्रतिवर्ष 02 अक्टूबर व 26 जनवरी को छात्रवृत्ति वितरण दिवस समारोह पूर्वक कार्यक्रम आयोजित किया जाय। मा0 उच्च न्यायालय ने उक्त याचिकान्तर्गत छात्रवृत्ति का वितरण दो किशो में दिये जाने के आदेश पारित किये हैं। मा0 उच्च न्यायालय तथा मा0 मुख्यमंत्री जी उ0प्र0 के आदेशों के अनुपालन में निदेशालय के पत्र दिनांक 02.04.2018 द्वारा प्रस्तावित समय-सारणी का प्रस्ताव निम्नवत है:-

क्र० सं०	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	कार्यवाही की प्रस्तावित समयावधि अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु
1	2	3
दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति - समूह 1,2,3, व 4 से सम्बन्धित पाठ्यक्रम के छात्रों हेतु।		
1	छात्र-छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जाना।	01 जुलाई से 31 अगस्त, 2018 तक
2	छात्र द्वारा किये गये ऑनलाईन आवेदन में हुई त्रुटियों (हार्डस्कूल, इण्टरमीडियट रोल नम्बर तथा आय, निवास, जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक तथा आवेदन का क्रमांक एवं आय तथा आधार नम्बर) को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेंट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना।	छात्र द्वारा ऑनलाईन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व 03 कार्य दिवसों में।
4	ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी छात्र/ छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के 06 दिन के अन्दर विलम्बतम 06 सितम्बर 2018 तक।
5	छात्र-छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्डकॉपी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करना, सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	02 जुलाई से 12 सितम्बर 2018 तक।



6	छात्र द्वारा आवेदन पत्र नवीनीकरण (Renewal) न करने का कारण संस्था द्वारा आनलाईन छात्र के सम्मुख अंकित किया जाना एवं जिलाधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा टीम बनाकर संस्था एवं छात्रों का भौतिक सत्यापन किया जाना।	13 सितम्बर से 15 नवम्बर 2018 तक।
7	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना, आवेदन पत्र में अंकित आधार नम्बर को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से सत्यापन किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना। (नवीनीकरण के छात्रों के लिये)	13 सितम्बर से 20 सितम्बर 2018 तक।
8	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं छात्रों को छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना (नवीनीकरण के छात्रों के लिये)।	24 सितम्बर 2018 तक।
9	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा एवं स्वीकृत डाटा लॉक किया जाना (नवीनीकरण के छात्रों के लिये)।	26 सितम्बर, 2018 तक।
10	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधारपर नवीनीकरण के छात्रों का एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से माँग सृजित कराना।	28 सितम्बर, 2018 तक।
11	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर नवीनीकरण के छात्रों को कोषागार के ई-पेमेण्ट के तहत प्रणाली के माध्यम से छात्र-छात्राओं के बचत बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	01 अक्टूबर, 2018 तक।
12	प्रत्येक जनपद में छात्रवृत्ति वितरण दिवस समारोह/ कार्यक्रम आयोजित करना।	02 अक्टूबर, 2018 तक।
<b>दशमोत्तर कक्षाओं के नवीन (Fresh) एवं अवशेष नवीनीकरण (Renewal) के छात्र-छात्राओं हेतु।</b>		
13	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना, आवेदन पत्र में अंकित आधार नम्बर को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से सत्यापन किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना।	13 सितम्बर, 2018 तक।
14	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सही डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत एवं डिजिटल सिग्नेचर से सही डाटा लॉक किया जाना।	30 अक्टूबर 2018 तक।

15	सन्देशास्पद डाटा को कारणों सहित, छात्र, संस्था एवं कल्याण अधिकारियों के लॉगिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन में की गयी त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक करके पुनः आवेदन ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया जाना।	21 अक्टूबर 2018 से 01 नवम्बर, 2018 तक।
16	ऑनलाइन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके हार्डकॉपी छात्र-छात्राओं द्वारा समस्त वांछित संलग्नको सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के 03 दिन के अन्दर, विलम्बतम् 04 नवम्बर, 2018 तक।
17	छात्र-छात्राएँ द्वारा सही किये गये ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकॉपी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र-छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्था द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन पुनः प्राप्त करना, सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	22 अक्टूबर 2018 से 07 नवम्बर 2018 तक।
18	छात्र द्वारा सही किये गये सन्देशास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य ईकाई में विभिन्न निर्धारित बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना।	08 नवम्बर, 2018 से 22 नवम्बर, तक।
19	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देशास्पद एवं छात्र द्वारा सही किये गये सन्देशास्पद डाटा से अलग शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना।	28 नवम्बर, 2018 तक।
20	जनपदीय स्तरीय विभागीय अधिकारी डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा एवं स्वीकृत डाटा लॉक किया जाना।	15 दिसम्बर, 2018 तक।
21	जनपदीय स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मॉग सृजित कराना।	20 दिसम्बर 2018 तक।
22	जनपदीय स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर कोषागार के ई-पेमेण्ट के तहत PFMS से छात्र-छात्राओं के बचत बैंक खातों में सीधे धनराशि अंतरित किया जाना।	31 दिसम्बर, 2018 तक।
23	प्रत्येक जनपद में छात्रवृत्ति वितरण दिवस समारोह/ कार्यक्रम आयोजित कराना।	26 जनवरी, 2019 को।

अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों एवं उपरोक्त समय-सारणी के अनुसार शैक्षिक सत्र 2018-19 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति/ शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

S.D.

(राजीव कुमार)  
मुख्य सचिव